

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 100/23

तारीख दायर

15/5/23

- 1-प्रभुदास पुत्र मोहनदस जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज)
 - 2-बालुदास पुत्र मोहनदस जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज)
 - 3-लालुदास पुत्र मोहनदस जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज)
 - 4-हरिशंकर पुत्र जगन्नाथ जाति धकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज)
- प्रार्थीगण

बनाम

- 1.-चुन्नीलाल पुत्र मोडा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी पापडबड तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज)
- 2.-मांगीलाल पुत्र लालु जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी पापडबड तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज)
- 3.-बेणा पुत्र भैरू जाति भील उम्र वयस्क निवासी पापडबड तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज)
- 4.-राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार साहब बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज.)

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:—आदेश:—

दिनांक

7/6/23

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री प्रभुदास बैरागी बालुदास बैरागी लालुदास बैरागी हरिशंकर धाकड़ ने जरीये अभिभाषक श्री ओमप्रकाश धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम पापडपड तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 154 पर अंकित आराजी संख्या 66 रकबा 1.8130 हैक्टेयर, खाता संख्या 155 पर अंकित आराजी संख्या 64 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खाता संख्या 69 पर अंकित आराजी संख्या 63 रकबा 0.6232 हैक्टेयर, आराजी संख्या 65 रकबा 0.4532 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 2.9280 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के अवलोकर से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम पापडपड तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 154 पर अंकित आराजी संख्या 66 रकबा 1.8130 हैक्टेयर, खाता संख्या 155 पर अंकित आराजी संख्या 64 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खाता संख्या 69 पर अंकित आराजी संख्या 63 रकबा 0.6232 हैक्टेयर, आराजी संख्या 65 रकबा 0.4532 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 2.9280 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे। प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 100/23

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियों

तारीख दायर 15/5/13
- 7/6/23

विषय :- प्रकरण संख्या 100/23 प्रत्थरगढी बाबत।

- 1-प्रभुदास पुत्र मोहनदस जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज)
 - 2-बालुदास पुत्र मोहनदस जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज)
 - 3-लालुदास पुत्र मोहनदस जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज)
 - 4-हरिशंकर पुत्र जगन्नाथ जाति धकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज)
- प्रार्थीगण

बनाम

- 1.-चुन्नीलाल पुत्र मोडा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी पापडबड तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज)
- 2.-मांगीलाल पुत्र लालु जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी पापडबड तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज)
- 3.-बेणा पुत्र भैरु जाति भील उम्र वयस्क निवासी पापडबड तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज)
- 4.-राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार साहब बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

—विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम पापडपड तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 154 पर अंकित आराजी संख्या 66 रकबा 1.8130 हैक्टेयर, खाता संख्या 155 पर अंकित आराजी संख्या 64 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खाता संख्या 69 पर अंकित आराजी संख्या 63 रकबा 0.6232 हैक्टेयर, आराजी संख्या 65 रकबा 0.4532 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 2.9280 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कास्यां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थीगण अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणों को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया
जिला-भीलवाड़ा